संख्या-2/2015/204/43-1-2015-25(16)/2014

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य सूचना आयोग,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ -दिनांक 30 जनवरी, 2015

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-46 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 500.00 लाख (रूपये पॉच सौ लाख मात्र) की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सूचना आयोग के पत्र संख्या-438/अधि0/रा0सू0आ0/ 2014-15 दिनांक 30-10-2014 के सन्दर्भ में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1024/43-1-2014-14(35)/2008, दिनांक 31-7-2014 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-राज्य सूचना आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण-24-व़हद निर्माण कार्य के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 500.00 लाख की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(2) आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) कार्य की गुणवत्ता, मानक तथा निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करने एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी राज्य सूचना आयोग की होगी।

(4) आयोग द्वारा पी0एफ0ए0डी0 के निर्देशों एवं वित्त (बजट)-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-609/दस-2014-231/2014 दिनांक 04-3-2014 एवं बी-1/2457/ दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धन की उपलब्धता का दायित्व राज्य सूचना आयोग का होगा।

(6) फर्नीचर के क्रय एवं स्थापना हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा नामित एक अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के परियोजना प्रबन्धक सदस्य होगें, जोकि फर्नीचर आदि का क्रय वित्तीय नियमों का पूर्णरूप से अनुपालन करते हुए न्यूनतम आवश्यकतानुसार एवं न्यूनतम दरों पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(7) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्वि, लोड वियरिंग के स्थान पर फेम्ड स्ट्क्चर पर निर्माण कराया जाना, सामान्य फाउन्डेशन के स्थान पर पाइल/राफट फाउन्डेशन पर निर्माण कराया जाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृध्दि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

(8) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था की मांग के अनुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा उसका उपयोग प्रश्नगत वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जाए, किसी भी दशा में अप्रयुक्त/समर्पण की स्थिति उत्पन्न न हो।

(10) कार्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्ष- "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-राज्य सूचना आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण-24 बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।"

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई,2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एन0 शुक्ल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
7- निदेशक, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
8- वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिटस, उ0प्र0, लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
11- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
12- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्ग विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
15- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in